

कम्प्यूटर परिपत्र सं०- 1617044 दिनांक 27-10-2016
पत्र सं०-सचल दल-परिपत्र-जमा प्रमाण पत्र 2016-17/

1252 / वाणिज्यकर
कार्यालय कमिशनर वाणिज्यकर
(सचलदल-अनुभाग)
लखनऊ :: दिनांक 27 अक्टूबर, 2016

समस्त

जोनल एडीशनल कमिशनर / एडीशनल कमिशनर ग्रेड-2 (वि०अनु०शा०) /

ज्वाइन्ट कमिशनर (वि०अनु०शा०) / (कार्यपालक) ,

असिस्टेन्ट कमिशनर (स०द०) वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश

विषय:- ऑनलाइन शापिंग के माध्यम से प्रान्त के बाहर से लाये जा रहे माल के अभिग्रहण के उपरान्त माल अवमुक्त किये जाने हेतु जमानत जमा कराये जाने के सम्बंध में दिशा निर्देश ।

विज्ञप्ति सं० K-I-N-11-1342/11-9(107)-UP ACT-30-07-Order(166)-2016 दिनांक 21-09-2016 द्वारा प्रदेश के बाहर से प्रदेश के स्थानीय क्षेत्र में ऑनलाइन शापिंग / ई-कामर्स के माध्यम से व्यवसाय के अन्यथा अथवा व्यक्तिगत उपयोग के लिए लाये जा रहे माल पर प्रभावी दिनांक 22-09-2016 से 05 प्रतिशत की दर से प्रवेश कर देयता प्रभावी की गयी है तथा परिपत्र सं०-1641(कम्प्यूटर परिपत्र सं०-1617034) दिनांक 21-09-2016 द्वारा इस प्रकार के माल पर देय प्रवेश कर जमा करने का दायित्व ऐसे ट्रांसपोर्टर / कोरियर / परिदान अभिकर्ता / अभिकर्ता / माल वाहक का निर्धारित किया गया है, जो स्वयं अथवा किसी अन्य व्यक्ति की ओर से ऐसा माल स्थानीय क्षेत्र में लायेगा । इस हेतु सम्बंधित ट्रांसपोर्टर / कोरियर / परिदान अभिकर्ता / अभिकर्ता / माल वाहक एवं ऐसे अन्य व्यक्ति का उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम की धारा-17(6) एवं मूल्य संवर्धित कर नियमावली के नियम-38 के अन्तर्गत सर्विस प्रदाता न०(SPN) हेतु पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा तथा प्रदेश के अन्दर माल के प्रवेश के पूर्व माल के परिवहनकर्ता का फार्म-EC डाउनलोड करना तथा माल के गंतव्य स्थल पर पहुंचने तक परिवहन के दौरान माल के साथ रखना अनिवार्य होगा ।

कतिपय मामलों में ट्रांसपोर्टर / कोरियर / परिदान अभिकर्ता / अभिकर्ता / माल वाहक द्वारा उपरोक्त नियमों का अनुपालन किये बिना करापवंचन के उद्देश्य से माल प्रान्त बाहर से आयात किया जाता है तथा जांच में ऐसे माल को अभिग्रहीत कर लिया जाता है । अभिग्रहीत माल को अवमुक्त करने हेतु जमानत जमा करने के सन्दर्भ में कुछ अधिकारियों में भ्रम की स्थिति है । अतः इस सम्बंध में निम्नवत कार्यवाही के निर्देश दिये जाते हैं ।

पूर्व में परिपत्र सं०-469(कम्प्यूटर परिपत्र 1415025) दिनांक 05-06-2014 में मूल्य संवर्धित कर अधिनियम के अन्तर्गत प्रान्त बाहर से पंजीकृत व्यापारियों द्वारा आयातित माल के सम्बंध में यह सुस्पष्ट निर्देश दिये गये थे कि अनुसूची-2 अथवा 3 में समाहित माल के सम्बंध में माल के मूल्य का 15 प्रतिशत, अनुसूची-5 में समाहित माल के सम्बंध में कर के 02 गुने के बराबर तथा ऐसे माल पर जिन पर कर की दर 40 प्रतिशत से अधिक है ऐसे माल के सम्बंध में संदेय कर के बराबर जमानत वसूल की जायेगी । क्योंकि ऑनलाइन शापिंग / ई-कामर्स से लाये जा रहे माल पर 05 प्रतिशत की दर से कर देयता रखी गयी है तथा माल के आयातक / ट्रांसपोर्टर / कोरियर / परिदान अभिकर्ता / अभिकर्ता / माल वाहक एवं ऐसे अन्य व्यक्ति को मूल्य संवर्धित कर अधिनियम की धारा-17(6) के अन्तर्गत सर्विस प्रदाता न०(SPN) हेतु पंजीकरण कराना अनिवार्य किया गया है । अतः ऑनलाइन शापिंग / ई-कामर्स के माध्यम से प्रदेश में आयात किये जाने वाले माल का परिवहन करने वाला ट्रांसपोर्टर / कोरियर / परिदान अभिकर्ता / अभिकर्ता / माल वाहक यदि प्रदेश में सर्विस प्रदाता न०(SPN) हेतु पंजीकृत है तो अभिग्रहीत माल अवमुक्त किये जाने हेतु माल के मूल्य का 15 प्रतिशत जमानत जमा कराकर माल अवमुक्त किया जायेगा एवं सर्विस प्रदाता न०(SPN) पंजीकृत न होने पर माल के मूल्य का 40 प्रतिशत जमानत जमा कराकर माल अवमुक्त किया जायेगा । उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जाये

(मुकेश कुमार मेश्राम)

कमिशनर , वाणिज्य कर ,
उत्तर प्रदेश ।

पृष्ठांकन पत्र संख्या एवं दिनांक उक्त ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. माननीय अध्यक्ष , 30 प्र० राज्य वाणिज्य कर सलाहकार समिति , 30 प्र० शासन , लखनऊ ।

3. निदेशक, राजस्व व विशिष्ट अभिसूचना, उत्तर प्रदेश शासन, सचिवालय, लखनऊ।
4. संयुक्त सचिव, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2, उत्तर प्रदेश शासन, सचिवालय, लखनऊ (दो प्रतियो में)
5. अध्यक्ष / निबन्धक, उत्तर प्रदेश वाणिज्य कर, लखनऊ एवं समस्त सदस्य वाणिज्य कर अधिकरण, वाणिज्य कर, 30 प्र0।
6. समस्त जोनल एडीशनल कमिशनर वाणिज्य कर, 30 प्र0 मुख्यालय, लखनऊ।
7. समस्त जोनल एडीशनल कमिशनर वाणिज्य कर, 30 प्र0।
8. समस्त एडीशनल कमिशनर ग्रेड-2, वाणिज्य कर, 30 प्र0।
9. समस्त ज्वाइन्ट कमिशनर (कार्यपालक / वि0अनु0शा0 / अपील / कारपोरेट) वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।
10. समस्त डिप्टी कमिशनर / असिस्टेन्ट कमिशनर / वाणिज्य कर अधिकारी (क0नि0 / वि0अनु0शा0 / स0द0) वाणिज्य कर, 30 प्र0।
11. अपर निदेशक संयुक्त निदेशक / उप निदेशक / सहायक निदेशक, वाणिज्य कर प्रशिक्षण संस्थान, गोमती नगर, लखनऊ।
12. महालेखाकार, छठा तल, केन्द्रीय भवन, अलीगंज, लखनऊ।
13. वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी, सतर्कता अधिष्ठान, विक्रमादित्य मार्ग, लखनऊ।
14. प्रबन्धक, इसेटिव, पिकप, राणाप्रताप मार्ग, लखनऊ।
15. समस्त आन्तरिक सम्परीक्षा दल, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।
16. सीनियर डिप्टी एकाउन्टेन्ट जनरल, रेवेन्यू आडिट विंग, स्टेट आफिस आफ द ए0जी0 आडिट II, सरोजनी नायडू मार्ग, इलाहाबाद।
17. विकास आयुक्त, नोयडा एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन, सेक्टर 10 नोयडा।
18. एडीशनल कमिशनर ग्रेड-2 / ज्वाइन्ट कमिशनर / डिप्टी कमि0 / असिस्टेन्ट कमिशनर (सर्वोच्च न्यायालय कार्य) गाजियाबाद।
19. एडीशनल कमिशनर ग्रेड-1/ ग्रेड-2 / ज्वाइन्ट कमिशनर / डिप्टी कमि0 / असि0कमि0 (30न्या0कार्य0) लखनऊ / इलाहाबाद।
20. समस्त अनुभाग अधिकारी, वाणिज्य कर, मुख्यालय।
21. अध्यक्ष, 30 प्र0 प्रदेश टैक्स एडवोकेट वेल फेयर एसो0 7, देवेन्द्र पुरी कालोनी, बांसमण्डी, लखनऊ।
22. अधिशासी निदेशक, उद्योग बन्धु, सी 15 माल एवेन्यू, लखनऊ।
23. श्री हुलास राय सिंघल, राष्ट्रीय अध्यक्ष, समाजवादी व्यापार सभा, कैम्प कार्यालय इण्डस्ट्रियल इस्टेट, रेलवे रोड, देवबन्द (सहारनपुर) 30 प्र0।
24. श्री श्याम बिहारी मिश्र, 30 प्र0 प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल, 87/349 आर्या नगर, सगीत टाकिज के पीछे कानपुर।
25. श्री बनवारी लाल कंछल, अध्यक्ष, 30 प्र0 प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल, कंछल कुँज, 66, शास्त्री नगर, लखनऊ।
26. श्री संदीप बंसल, सदस्य राज्य स्तरीय व्यापार कर सलाहकार समिति, 29बी विधायक निवास दारुललफा, लखनऊ।
27. मर्चेन्ट चेम्बर आफ कामर्स, 14/26 सिविल लाइन्स, कानपुर।
28. एसोशियेटेड चेम्बर आफ कामर्स एण्ड इण्ड0 2/302 विकास खण्ड 4/180 गोमती नगर लखनऊ।
29. पी एच डी चेम्बर आफ कामर्स एण्ड इण्ड0 1 ए, लाप्लास शाहनजफ रोड लखनऊ।
30. अवध चेम्बर आफ कामर्स एण्ड इण्ड0 द्वारा ब्राइट बेबी साइकिल इण्ड0 ऐशबाग रोड, लखनऊ।
31. आल इन्डिया मैनुफै चर्स आर्गेनाइजेशन डी-4 साइट संख्या 3 मेरठ रोड इण्डस्ट्रीयल एरिया गाजियाबाद।
32. कनफेडरेशन आफ इन्डियन इण्ड0 निराला नगर, लखनऊ।
33. राज्य स्तरीय सलाहकार समिति के सभी सदस्यों / सम्भागीय सलाहकार समिति के सदस्यों को सम्बंधित ज्वाइन्ट कमिशनर (कार्य0) के माध्यम से।
34. प्रदेश प्रमुख लघु उद्योग भारतीय 10 इन्जीनियर्स काम्प्लेक्स, सुल्तानपुर रोड, रायबरेली।
35. श्री नरेन्द्र कु0 गुप्ता, (नन्दी) राष्ट्रीय महासचिव एवं राष्ट्रीय कार्यालय प्रभारी, समाजवादी व्यापार सभा (कैम्प कार्यालय 1/274, चिरंजीव विहार, निकट चांसलर क्लब, गाजियाबाद।
36. श्री शिवकुमार रोड़ा, एडवोकेट, अध्यक्ष, दि 30 प्र0 टै स बार एसो0 जमुना बिहार, एस0एस0कालेज रोड, खतौली, मुजफ्फरनगर।
37. श्री मदन मोहन भरतीया एडवोकेट, सदस्य राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण 30 प्र0 शासन 26/103 बिरहाना रोड कानपुर।
38. प्रो0 डा0 सुरेन्द्र नाथ डीन फैकल्टी आफ ला बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी, बनारस।
39. प्रो0 श्रीमती रंजना कक्कड़, 15 टैगोर टाउन इलाहाबाद।
40. डा0 छेदी लाल साथी, ए-5 / 1579 इन्द्रा नगर, लखनऊ।
41. श्री बी0एन0राय, एडवोकेट, अध्यक्ष, दि यू0पी0टैक्स बार एसो0 45 चन्द्रिका कालोनी, सिगरा वाराणसी।
42. श्री अशोक धवन सी के -24/ 1, कुँजगली, चौक, वाराणसी।
43. श्री पी0एस0 जैन, 138 ए ब्लॉक ए से टर 27 नोयडा।
44. श्री ब्रित चावला महा सचिव, (पश्चिमी क्षेत्र प्रभारी) 30 प्र0 ट्रक आपरेटर्स, फेडरेशन (रजि0), पुलदाल मण्डी सहारनपुर।
45. श्री आर0 डी0 गुप्ता, एडवोकेट, आकाशपुरी कालोनी, इलाहाबाद।
46. श्री संतोष कुमार (पनामा), प्रदेश उपाध्यक्ष, भा0ज0पा0निवासी 60चाहचन्द इलाहाबाद।
47. श्री शैलेश मिश्रा, महामंत्री, लोहा व्यापार मंडल 30 प्र0 प्रदेश, 19 सुरेशबाग, कानपुर।
48. इन्डियन इण्ड0एसो0, 159/ए -8, 15 प्रकाश मार्केट, लाला लाजपत राय चौक, मु0नगर।
49. संयोजक, टैक्सेशियों एक्जैडमिक एण्ड वेलफेयर फोरम एसो, वेस्टर्न यू0पी0, 52, नगर निगम कम्पाउन्ड कैसरबाग रोड, मेरठ।
50. टैक्सेशन बार एसोसिएशन ट्रेड टै स बार रुम जयपुर हाऊस, आगरा।
51. श्री मलिक विजय कपूर चेयरमैन कानपुर इण्डस्ट्रियल डिवीजन को0प0 स्टेट लि0 51-बी उद्योग नगर कानपुर।

52. श्री अनिल कुमार बंसल दि यू0पी0रोलर फ्लोर मिलर्स एसो0 3-ए स, गोखले मार्ग लखनऊ ।
53. श्री दिनेश अरोरा उ0प्र0 वनस्पति प्रोड्यूसर्स एसो0 51/58-ए श कर पट्टी कानपुर ।
54. श्री नन्द लाल उपाध्यक्ष उ0प्र0 टेन्ट व्यापार एसो0 565/566 राजेन्द्र नगर लखनऊ ।
55. श्री अरुण कुमार अवस्थी, प्रान्तीय संगठन मन्त्री, अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मण्डल, (पंजी0-बी-29, विधायक निवास, दारुल सफा, लखनऊ ।
56. श्री गोपाल अग्रवाल, प्रदेश अध्यक्ष, समाजवादी व्यापारी सभा, उ0प्र0, 6ए, राजभवन कालोनी, लखनऊ
57. श्री दिनेश चन्द्र मिश्र, उपाध्यक्ष उ0प्र0 कागज कापी व्यवसायी संघ, 6/6-ए, उ0 बी0 एन0 रोड, अमीनाबाद लखनऊ ।
58. अध्यक्ष, इण्डियन इन्डस्ट्रीज एसोसिएशन, विभूति खण्ड फेस 2 गोमती नगर लखनऊ ।
59. वैट लॉ जनरल 10 नगर निगम कम्पाउन्ड, कैसर गंज रोड मेरठ ।
60. वीरेन्द्र कुमार अग्रवाल मण्डल उपाध्यक्ष, अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मण्डल (पंजी0) मण्डल कैम्प कार्यालय इमलीवला नोटरा सादाबाद गेट, हाथरस ।
61. सर्वश्री दि किराना मर्चेन्ट्स एसोसिएशन, 67/116 सेवा समिति भवन, केनाल रोड, कानपुर ।
62. श्री अरविन्द कुमार गुप्ता, एडवोकेट, अध्यक्ष उत्तर प्रदेश टैक्सवार एसोसिएशन, सीताराम, आजमगढ़ (उ0प्र0)
63. श्री रमेश केसरवानी (प्रदेश सचिव) जिलाध्यक्ष, उ0प्र0 उद्योग व्यापार मण्डल-22/26 आशादेवी मार्केट, खोया मण्डी, इलाहाबाद
64. श्री मनोज कुमार गुप्ता, अध्यक्ष, राष्ट्रवादी उद्योग व्यापार मण्डल, सुभाषनगर, गली न0-6 गोपाल टॉकीज के पीछे बदार्यु ।
65. श्री मनीष शर्मा ला मैनेजमेन्ट हाउस, आगरा- 15/5 राजनगर, गाजियाबाद ।
66. श्रीमती इन्दु मिश्रा, इन्दु पब्लिशिंग, आर0डी0सी0-51, राजनगर, गाजियाबाद ।
67. श्री बी0 एन0 शुक्ला, अध्यक्ष, यू0पी0 पेट्रोलियम ट्रेडर्स एसोसिएशन, 103 बी प्रतिभा तीरथ एपार्टमेन्ट, यूनिवर्सिटी रोड, लखनऊ ।
68. श्री अमरनाथ मिश्र, महामंत्री, लखनऊ व्यापारी समन्वय समिति, 244 / 65, यहियागंज, लखनऊ ।
69. श्री रवि सन्डूजा, एडवोकेट, रवि एसोसिएट्स, डी-194, सेक्टर-10, नोयडा, गौतमबुद्ध नगर (यू0पी0) ।
70. श्री अरविन्द कालरा, सदस्य वैट एडवाइजरी कमेटी, उत्तराखण्ड ।
71. श्री आलोक कुमार गुप्ता, महासचिव, यू0पी0 पेपर मर्चेन्ट्स, एसोसिएशन, एफ 43, से टर-11, नोएडा ।
72. अध्यक्ष, राइस एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन (उत्तर प्रदेश)
73. अध्यक्ष, यू0पी0मोटर ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन (रजि0) 133/296-ए, ट्रांसपोर्ट भवन, ट्रांसपोर्ट नगर, कानपुर ।
74. अध्यक्ष / सचिव, वेस्टर्न यू0पी0 चेम्बर आफ कामर्स एण्ड इण्डस्ट्री, बाम्बे बाजार, मेरठ ।

(प्रिन्स 11/11/16)

ज्वाइन्ट कमिश्नर (सचलदल) वाणिज्य कर,
मुख्यालय, लखनऊ ।